

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

Page No.
Previous Reference
Further Reference

क्रमांक:-प0सीई-आरएपी/आरडब्ल्यूएम/ओएसडी

जयपुर दिनांक

24 MAY 2010

--:आदेश :-

राजस्थान राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा डी 55/म.मं./2010 दिनांक 18.02.2010 द्वारा अनुमोदित राज्य जल नीति फरवरी-2010 की अनुपालना में जल संसाधन प्रबन्धन एवं आयोजना के लिए जल आवंटन की प्राथमिकताओं का क्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

1. मनुष्य के लिये पेयजल।
2. पशुधन के लिये पेयजल।
3. अन्य घरेलू, वाणिज्यिक एवं नगर पालिका उपयोगार्थ।
4. कृषि।
5. ऊर्जा उत्पादन।
6. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी उपयोगार्थ।
7. उद्योग।
8. अन्य उपयोग जैसे सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी उपयोग।

उपरोक्त प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन प्रकरण विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग के द्वारा मंत्रीमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करके, किया जावेगा।

ई-

(एन0पी0 शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव मुख्यमंत्री राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव मा0 मंत्री/राज्य मंत्री जल संसाधन, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री महोदय।
4. विशिष्ट सहायक, मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय।
5. विशिष्ट सहायक, मा0 उद्योग मंत्री महोदय।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन/जन स्वा. अभि. एवं भू-जल विभाग।
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राज0 जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं इ0ए0पी0 जल संसाधन विभाग जयपुर।
10. मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर।
11. मुख्य अभियंता, विशिष्ट परियोजना, जन स्वा. अभि. विभाग जयपुर।
12. मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, जोधपुर।
13. मुख्य अभियंता, (मुख्यालय), जन स्वा. अभि. विभाग जयपुर।
14. सुपरिटेन्डिंग हाईड्रोजिओलोजिस्ट, भू-जल विभाग जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(2)

(6c)

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक:-प0सीई-आरएपी/आरडब्ल्यूएम/ओएसडी

जयपुर, दिनांक 24 MAY 2010


-: आदेश :-

राजस्थान राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा डी 55/म.मं./2010 दिनांक 18.02.2010 द्वारा अनुमोदित राज्य जल नीति फरवरी-2010 के पैरा संख्या 1.2.2 के क्रम में यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य की वर्तमान एवं भविष्य की बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाओं एवं अन्य सिंचाई योजनाओं में उपलब्ध जल की मात्रा पर मनुष्य एवं पशुधन के लिए पेयजल की उच्च प्राथमिकता रहेगी।

(एन0पी0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव मुख्यमंत्री राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव मा0 मंत्री/राज्य मंत्री जल संसाधन, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री महोदय।
4. विशिष्ट सहायक, मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय।
5. विशिष्ट सहायक, मा0 उद्योग मंत्री महोदय।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन/जन स्वा. अभि. एवं भू-जल विभाग।
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राज0 जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं इ0ए0पी0 जल संसाधन विभाग, जयपुर।
10. मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर।
11. मुख्य अभियंता, विशिष्ट परियोजना, जन स्वा. अभि. विभाग जयपुर।
12. मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, जोधपुर।
13. मुख्य अभियंता, (मुख्यालय), जन स्वा. अभि. विभाग जयपुर।
14. सुपरिटेन्डिंग हाईड्रोजिओलोजिस्ट, भू-जल विभाग जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

SEES
18.02.10
2

3037
24/5/10